लाईन दर्शायी गई है, के मध्य पूर्व–पश्चिम 15 फीट चौड़ाई का रास्ता राजस्व कायम करने, रास्ते के पृथक से खसरा नं. बनाये जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकित के पर भी रास्ते की मुस्तकिल सीमा कायम करने की कृपा करें। अपने प्रार्थना–पत्र के नकल जमाबन्दी, खसरा सं. 56/281 ग्राम काशीपुरा, जमाबन्दी खाता सं. 24 ग्राम जमाबन्दी खाता सं. 19 ग्राम काशीपुरा पेश की।

अपने जवाब में तहसीलदार नैंनवां ने प्रार्थी खसरा सं. 60 से अपने खेत खसरा सं. 56/281 जाने के लिये खसरा सं. 55 एवं 59 से होकर अस्थाई रूप से आता–जाता है तथा अन्य कोई सरा रास्ता नहीं है। नक्शा ट्रेश में लाल स्याही से प्रस्तावित रास्ता बिन्दु अ से ब तक दर्शाया गया है। राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज नहीं होना बताया है। खसरा सं. 59 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा किस्म बारानी चतुर्थ गिर्राज, बद्री, जमनालाल, मथरालाल पि. श्रीकिशन हिस्सा 5/6 हि.ब. गीता, सीता पुत्री कल्याण हिस्सा 1/12 कौम मीणा साकिन माणी, प्रसन्न बाई पत्नि रामप्रसाद हिस्सा 1/12 साकिन देह खातेदार रहन बदस्तुर दर्ज है। उक्त भूमि में से 12 गठ्ठे लम्बा गुणा में 2 गठ्ठे चौड़ा अर्थात 24 वर्ग गठ्ठा अर्थात 1 बिस्वा 4 बिस्वानसी भूमि खातेदारी के उपयोग में आयेगी। इसी प्रकार खसरा सं. 55 में रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा किस्म बंजर पर शंकर, लोड़कीलाल, कालूलाल पि. जगन्नाथ, फूल बाई पुत्री जगन्नाथ कौम मीणा साकिन देह खातेदारान रहन बदस्तुर दर्ज है। उक्त भूमि में से 6 गठ्ठे लम्बा गुणा 2 गठ्ठे चौड़ा यानि 12 वर्ग गठ्ठा अर्थात 13 बिस्वानसी भूमि उपयोग में आयेगी। खसरा सं. 55 व 59 काशीपुरा से माणी जाने वाली डामर रोड़ से लगभग 1150 फुट की दूरी पर है तथा उक्त भूमि की डीएलसी दर 92700/– प्रति बीघा की दर से भूमि की कीमत बताई है। अप्रार्थी सं. 1, 4, 5 व 6 द्वारा प्रार्थना–पत्र के समर्थन में इकबाली जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने हेतु करने में कोई आपत्ति नहीं होना अपने जवाब में अंकित किया है।

हमने प्रार्थना–पत्र, शपथ–पत्र, प्रस्तुत साक्ष्य रिकॉर्ड दस्तावेज जमाबन्दियां आदि का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा सं. 56/281 में आने जाने ट्रेक्टर ट्रॉली व अन्य कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिये खसरा सं. 59 और खसरा सं. 55 में खसरा सं. 58 की मेर के बाद उत्तरी मेर के बाद और परिशिष्ट–क मे अ से ब जो लाल लाईन दर्शायी गई है, के मध्य पूर्व–पश्चिम 15 फीट चौड़ाई का रास्ता राजस्व नक्शे लठ्ठे में कायम करने, रास्ते के पृथक से खसरा नं. बनाये जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करने और मौके पर भी रास्ते की मुस्तकिल सीमा कायम करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी के अपने खेत खसरा सं. 56/281 में आने जाने ट्रेक्टर ट्रोली कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिये अन्य कोई रास्ता नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थी को रास्ते के सम्बंध में अवरोध पैदा कर रहे है, जिनका उनको कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी को उसके खेत पर जाने हेतु रास्ता दिया जाना आवश्यक है। तहसीलदार ने भी अपने जवाब में प्रार्थी को उसके खेत पर आने जाने अथवा कृषि यंत्र आदि लाने ले जाने हेतु अन्य रास्ता नहीं होना जाहिर किया है तथा रास्ते के सम्बंध में उक्तानुसार जवाब में रास्ता कायम किये जाने हेतु नक्शा ट्रेश में रास्ता प्रस्तावित किया है। अतः प्रार्थी को उसके खेत खसरा सं. 56/281 पर 15 फीट चौड़ा रास्ता मुताबित प्रस्तावित नक्शा ट्रेश जिसको परिशिष्ट–क नाम दिया गया है, जो न्यायालय निर्णय का भाग होगा के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना–पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित ग्राम काशीपुरा पटवार मण्डल माणी तहसील नैंनवां वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 के खाता सं. 13 के अनुसार कृषि भूमि खसरा सं. 56/281

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा एवं खसरा सं. 60 रकबा 06 बीघा 08 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 08 बीघा 11 बिस्वा भूमि पर प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा सं. 56/281 में आने जाने ट्रेक्टर ट्रॉली व कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिये खसरा सं. 59 और खसरा सं. 55 में नक्शा परिशिष्ट–क में दर्शाये अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस रास्ते मे खसरा सं. 59 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा भूमि खातेदार गिर्राज, बद्री, जमनालाल, भूरालाल आदि व गीता, सीता पुत्रियां कल्याण आदि व प्रसन्न बाई पत्नि रामप्रसाद आदि की भूमि में से 12 गठ् लम्बा गुणा में 2 गठ्ठे चौड़ा अर्थात 24 वर्ग गठ्ठा अर्थात 1 बिस्वा 4 बिस्वानसी भूमि खातेदारी उपयोग में आयेगी, व खसरा सं. 55 के खातेदारान रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा में से खातेदार शंक लोडकीलाल, कालूलाल पि. जगन्नाथ फूलबाई पुत्री जगन्नाथ आदि खातेदारान की भूमि में से गठ्ठे लम्बा गुणा 2 गठ्ठे चौड़ा यानि 12 वर्ग गठ्ठा अर्थात 13 बिस्वानसी भूमि उपयोग में आये इस प्रकार लगभग 2 बिस्वा भूमि प्रचलित बाजार दर 92700/– प्रति बीघा से 2 बिस्वा भूमि दुगुना 18540/– रूपये राजकोष में जमा होने के पश्चात उक्तानुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में स्याही से दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। राशि का भुगतान सम्बन्धित खातेदारान को जावे। तहसीलदार नैंनवां निर्णय अनुसार मौके पर रास्ता बहाल करे। निर्णय मेरे द्वारा लि जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैंनवाँ

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2020.02.20 12:31:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: